झारखण्ड सरकार

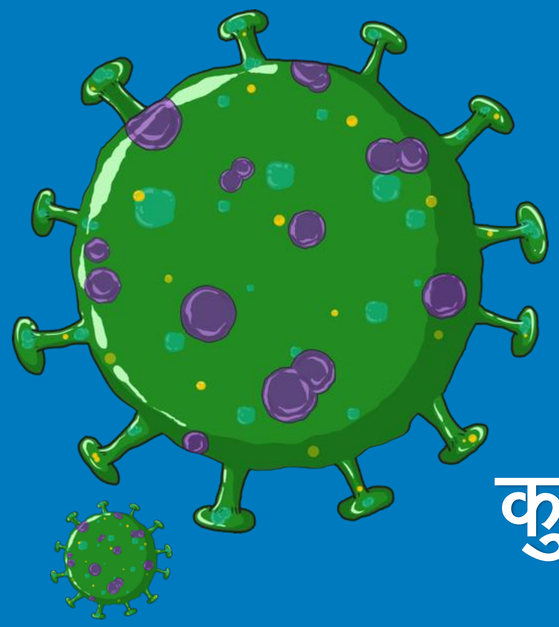

COVID-19

रिस्पोन्स और नियंत्रण उपायों पर कुपोषण उपचार केन्द्रों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

NATIONAL HEALTH MISSION

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

कुपोषण उपचार केन्द्रों पर COVID-19 संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण

कुपोषण उपचार केन्द्रों पर नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में दिशा–निर्देश।

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
नामकुम, राँची।

फोन नं०– 0651–2261000,2261006–2261002 मेल आई०डी०–nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांक: 9/RCH-594/19 – 486 (MD) दिनांक 11/04/2020

प्रेषक,

डॉ. शैलेश कुमार चौरसिया, एम.डी.
अभियान निदेशक।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
झारखण्ड।

विषय :– कुपोषण उपचार केन्द्रों पर नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में दिशा–निर्देश।

महाशय/महाशया,

अति गंभीर कुपोषित बच्चों में सामान्य बच्चों की तुलना में आम बीमारियों से 9 से 11 गुणा अधिक खतरा रहता है। आप अवगत हैं कि किसी भी महामारी के दौरान कुपोषण के दर में वृद्धि की संभावना रहती है। दिशा–निर्देश में मुख्य अनुशंसित व्यवहारों को शामिल किया गया है, जिन्हें कुपोषण उपचार केन्द्रों में प्रोत्साहित किया जाना है। इसके अतिरिक्त COVID-19 संक्रमण से मद्देनजर कुपोषण उपचार केन्द्रों पर अनावश्यक भीड़, समूह परामर्श, रोगियों के बीच समीप से सम्पर्क, नियमित फोलोअप हेतु बच्चों को केन्द्र पर बुलाये जाने आदि से बचने की आवश्यकता है

अतः विस्तृत दिशा–निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि कुपोषण उपचार केन्द्रों पर नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के बचाव हेतु दिशा–निर्देश में वर्णित अभ्यास/व्यवहार/बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(अभियान निदेशक) 11/4/20

ज्ञापांक – 486 (MD) दिनांक – 11/4/2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव, स्वा०, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप निदेशक सह नोडल पदाधिकारी, Child Health Cell झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी जिला आर.सी.एच. पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कुपोषण उपचार केन्द्रों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
8. सभी जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/अस्पताल प्रबन्धक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अभियान निदेशक) 11/4/20

CH Cell Hagendra

कुपोषण उपचार केन्द्रों पर नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में दिशा–निर्देश

1. हाथ धोने संबंधी व्यवहारों को प्रोत्साहित करें :–

- यह सुनिश्चित करें कि भोजन तैयार करने से पहले, बच्चों को खिलाने से पहले एवं शौच एवं बाहरी वस्तुओं को छुने के तुरन्त बाद साबुन एवं पानी से कम से कम 40 सेकेन्ड तक हाथों को धोया जाय।
- कुपोषण उपचार केन्द्रों के कर्मी द्वारा प्रत्येक दो केस (बच्चों) के अन्तराल पर हाथ धोना सुनिश्चित किया जाय।
- सुनिश्चित करें कि इस्तेमान किये जाने वाले हैंड सैनिटाइजर में 70% Alcohol Concentration हो।
- हाथ धोने की विधि प्रदर्शन वाले पोस्टर को कुपोषण उपचार केन्द्र में हाथ धोने के स्थान पर सुनिश्चित किया जाय।

2. कुपोषण उपचार केन्द्र पर प्रबन्धन एवं उपचार :–

- कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती सभी बच्चों में प्रत्येक दिन दो बार बुखार, सर्दी, खांसी व सांस लेने में तकलीफ की जाँच की जाय।
- कुपोषण उपचार केन्द्र में इलाजरत्त बच्चों को प्रोटोकॉल के अनुसार Antibiotic देना सुनिश्चित किया जाय।
- कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती सभी बच्चों में COVID-19 के लक्षणों (तेज बुखार के साथ सर्दी, खांसी व सांस लेने में तकलीफ) की जाँच की जाय। यदि किसी बच्चें में लक्षण विद्यमान हो तो निकटवर्ती अस्पताल को सूचित किया जाय।
- बच्चों में चिकित्सीय जटिलता सामान्य होने, भूख वापस आने तथा लगातार तीन दिनों तक >5g/kg/day की दर से वजन वृद्धि होने पर बच्चों को डिस्जार्च किया जा सकता है। डिस्जार्च के समय माँ/देखभालकर्ता को बच्चों के लिए घर पर की जाने वाली देखभाल, घर पर बनाये जाने वाले पौष्टिक आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता/हाथों की सफाई, प्ले थेरेपी गतिविधियों संबंधी परामर्श एवं आवश्यक औषधि, मल्टीविटामिन सीरप व आयरन सिरप प्रदान किया जाय।
- संक्रमण से बचाव हेतु शैय्याओं के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाय।
- सुनिश्चित किया जाय कि कुपोषण उपचार केन्द्र में इलाजरत्त बच्चों के साथ केवल एक परिचारक उपस्थित हो व अनावश्यक भीड़ न लगाया जाय।
- समूह परामर्श, Play Therapy और group food demonstration को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया जाय तथा ANM / counselor द्वारा माता / देखभालकर्ता को व्यक्तिगत बेड साइड परामर्श दिया जाय ।
- COVID-19 के सक्रिय संचार अवधि से जुड़े खतरे को देखते हुए, विरमित हुए सभी बच्चों को 15 दिनों के अन्तराल पर फॉलोअप के लिए नहीं बुलाया जाय। इन सभी बच्चों का दूरभाष पर फॉलोअप किया जाय।
- कुपोषण उपचार केन्द्रों पर इलाजरत्त बच्चों की माताओं/देखभालकर्ता को प्रत्येक दिन 100रु० पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
- जो माताएँ अनीमिक है, उन्हें IFA Supplements दिया जाना चाहिए और उन्हें वैसे आहार लेने हेतु सलाह दी जाय जिनमें प्रोटीन, ऊर्जा और सूक्ष्म पोषक तत्वों से अधिक हो, जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ायेगी।

3. Respiratory Hygiene बनाये रखें।

- दैनिक गतिविधियों के दौरान कुपोषण उपचार केन्द्र के सभी कर्मियों को Respiratory hygiene बनाये रखने के लिए मास्क पहनना चाहिए।
- इलाजरत्त बच्चें एवं उनके माताओं/देखभालकर्ताओं को भी मास्क उपलब्ध कराया जाय।

4. कुपोषण उपचार केन्द्र पर स्वच्छता बनाये रखें

- कुपोषण उपचार केन्द्र के फर्श को साफ करने में Sodium Hypochlorite Solution (1%) का नियमित रूप से उपयोग किया जाय ताकि पूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित किया जा सके।
- कुपोषण उपचार केन्द्रों के कर्मी जो प्रत्येक दिन बच्चों के परीक्षण में लगे हुए हैं, उन्हें प्रत्येक दो केस (बच्चों) के जाँच के उपरान्त अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए।
- MTC प्रोटोकॉल के अनुसार, बिस्तर पर चादरों की सफाई सुनिश्चित की जाय, यदि बेडशीट गीली हो जाती है तो तुरन्त बदल दिया जाना चाहिए या Mackintosh से बदल दिया जाना चाहिए।
- कुपोषण उपचार केन्द्र पर दैनिक उपयोग वाले उपकरणों यथा वजन मशीन, Infantometer, Stadiometer, Length Mat, MUAC Tape, Digital Thermometer, Drug Tray, बच्चों के खिलौने, बर्तन, Bedsheets, वार्ड के दरवाजे एवं खिड़कियाँ आदि का नियमित रूप से साफ–सफाई एवं 70% Ethyl Alcohol solution की सहायता से disinfect किया जाय। इस हेतु MTC के कर्मियों द्वारा निदेर्शों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
- कुपोषण उपचार केन्द्र के कर्मियों को नियमित रूप से टेबल, कुर्सियों, दरवाजों, खिड़कियों, खिड़की की रेलिंग, हैंडल को बार–बार छूने से बचना चाहिए एवं नियमित रूप से उक्त वस्तुओं का Disinfection सुनिश्चित किया जाय।
- यह सुनिश्चित किया जाय कि सभी कुपोषण उपचार केन्द्रों पर स्वच्छ पेयजल हेतु फिल्टर/RO की का प्रावधान किया गया हो ।
- MTC में बच्चों और माँ/देखभालकर्ता के लिए अलग बर्तनों का प्रावधान किया जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक फीड के बाद बर्तन ठीक से साफ हो जाय।
- माताओं/देखभालकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले शौचालय में स्वच्छता बनाये रखने हेतु नियमित साफ–सफाई सुनिश्चित की जाय।
- डस्टबीन को संक्रमण मुक्त रखने के लिए क्लोरीन से प्रत्येक दिन सफाई की जानी चाहिए।
- भोजन तैयार करने एवं परोसने में उपयोग में लाये जाने वाले बर्तनों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए नियमित रूप से sterilized किया जाना चाहिए।
- कुपोषण उपचार के सभी कर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय मास्क का उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
- कुपोषण उपचार केन्द्र के Cook को खाना बनाते और परोसते समय Apron, दस्ताने एवं टोपी का उपयोग करना चाहिए

MTC Guidance, NHM GoJ
11.04.2020

1. हाथ धोने संबंधी व्यवहारों को प्रोत्साहित करें

क्या करे

- भोजन तैयार करने से पहले, बच्चों को खिलाने से पहले एवं शौच एवं बाहरी वस्तुओं को छुने के तुरन्त बाद साबुन एवं पानी से कम से कम 40 सेकेन्ड तक हाथों को धोयें ।
- सेनीटाइजर (70 प्रतिशत एल्कोहल आधारित) से अपने हाथ के सभी हिस्सों पर तब तक मलते रहें जब तक कि वह सूख न जाये।
- कुपोषण उपचार केन्द्रों के कर्मी द्वारा प्रत्येक दो केस (बच्चों) के अन्तराल पर हाथ धोना सुनिश्चित किया जाय।
- हाथ धोने की विधि प्रदर्शन वाले पोस्टर को कुपोषण उपचार केन्द्र में हाथ धोने के स्थान पर लगाना सुनिश्चित किया जाय। Hand washing poster

क्या न करे

- बिना धुले हुए हाथों से अपनी आंखें, नाक और मुंह को छूना।
- ज्यादातर छुई जाने वाली सतहों को छूना जैसे कि टेबल, कुर्सियों, दरवाजों, खिड़कियों, खिड़की की रेलिंग, दरवाजे का हैण्डल और घंटी, एलीवेटर बटन, टेलीफोन , कुर्सी का पीछे का हिस्सा, ए.टी.एम. की सतहें, anthropometric उपकरण आदि

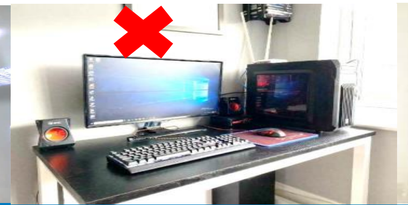

2. कुपोषण उपचार केन्द्र पर प्रबन्धन एव उपचारं

1. कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती सभी बच्चों में प्रत्येक दिन दो बार बुखार, सर्दी, खांसी व सांस लेने में तकलीफ की जाँच की जाय।
2. कुपोषण उपचार केन्द्र में इलाजरत्त बच्चों को प्रोटोकॉल के अनुसार Antibiotic देना सुनिश्चित किया जाय।
3. कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती सभी बच्चों में COVID-19 के लक्षणों (तेज बुखार के साथ सर्दी, खांसी व सांस लेने में तकलीफ) की जाँच की जाय। यदि किसी बच्चें में लक्षण विद्यमान हो तो उन्हें निकटवर्ती COVID-19 Isolation Ward में रखकर उपचारित किया जाय।
4. बच्चों में चिकित्सीय जटिलता सामान्य होने, भूख वापस आने तथा लगातार तीन दिनों तक >5g/kg/day की दर से वजन वृद्धि होने पर बच्चों को डिस्जार्च किया जा सकता है।
5. सुनिश्चित किया जाय कि कुपोषण उपचार केन्द्र में इलाजरत्त बच्चों के साथ केवल एक परिचारक उपस्थित हो व अनावश्यक भीड़ न लगाया जाय।
6. संक्रमण से बचाव हेतु शैय्याओं के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाय।

2. कुपोषण उपचार केन्द्र पर प्रबन्धन एव उपचारं

7. डस्जार्च के समय माँ/देखभालकर्ता को बच्चो के लिए घर पर की जाने वाली देखभाल, घर पर बनाये जाने वाले पौष्टिक आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता/हाथों की सफाई, प्ले थेरेपी गतिविधियों संबंधी परामर्श एवं आवश्यक औषधि, मल्टीविटामिन सीरप व आयरन सिरप प्रदान किया जाय।

8. समूह परामर्श, Play Therapy और group food demonstration को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया जाय तथा ANM / counselor द्वारा माता / देखभालकर्ता को व्यक्तिगत बेड साइड परामर्श दें

9. विरमित हुए सभी बच्चों को 15 दिनों के अन्तराल पर फॉलोअप के लिए नहीं बुलाया जाय। इन सभी बच्चों का दूरभाष पर फॉलोअप किया जाय।

10. कुपोषण उपचार केन्द्रों पर इलाजरत्त बच्चों की माताओं/देखभालकर्ता को प्रत्येक दिन 100रु0 पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

11. जो माताएँ अनीमिक है, उन्हें IFA Supplements दिया जाना चाहिए और उन्हें वैसे आहार लेने हेतु सलाह दी जाय जिनमें प्रोटीन, ऊर्जा और सूक्ष्म पोषक तत्वों से अधिक हो, जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ायेगी।

3. श्वसन स्वच्छता (Respiratory hygiene)

क्या करे

- सभी कर्मियों को श्वसन स्वच्छता बनाये रखने के लिए मास्क पहनना चाहिए।
- इलाजरत्त बच्चें एवं उनके माताओं/देखभालकर्ताओं को भी मास्क उपलब्ध कराया जाय।
- संक्रमण से बचाव हेतु शैय्याओं के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाय।
- खांसते या छींकते समय रूमाल या टिश्यू पेपर से अपने नाक और मुंह को ढके,। यदि रूमाल या टिश्यू नहीं है तो अपने हाथ को मोड़कर ऊपरी बांह से अपना नाक और मुंह ढंकना चाहिए ।
- खांसने या छींकने पर नाक/मुंह ढंकने के बाद तुरन्त अपने हाथ धोयें ।

क्या न करे

- खुले में न थूकें, हमेशा कूड़ेदान में या वॉश बेसिन का उपयोग करे ।

4. कुपोषण उपचार केन्द्र पर स्वच्छता बनाये रखें

क्या करे

1. केन्द्र के फर्श को साफ रखें : Sodium Hypochlorite Solution (1%) का नियमित रूप से उपयोग किया जाय
2. बिस्तर पर चादरों की सफाई सुनिश्चित करें एवं प्रत्येक दिन बदल दिया जाना चाहिए
3. दैनिक उपयोग वाले उपकरणों का नियमित साफ–सफाइ :

   वजन मशीन, Infantometer, Stadiometer, Length Mat, MUAC Tape, Digital Thermometer, Drug Tray, बच्चों के खिलौने, बर्तन, Bedsheets, वार्ड के दरवाजे एवं खिड़कियॉ आदि का प्रतिदिन साफ–सफाई एवं 70% Ethyl Alcohol solution की सहायता से disinfect किया जाय

4. कुपोषण उपचार केन्द्र पर स्वच्छता बनाये रखें

क्या करे

4. केन्द्रों पर स्वच्छ पेयजल हेतु फिल्टर/RO की प्रावधान
5. भोजन तैयार करने एवं परोसने में उपयोग में लाये जाने वाले बर्तनों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए प्रतिदिन रूप से sterilized किया जाना चाहिए
6. सभी कर्मी (विशेष रूप से cook) अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय मास्क , Apron, Gloves एवं टोपी का उपयोग करें
7. माँ/देखभालकर्ता के लिए अलग बर्तनों का प्रावधान तथा प्रत्येक फीड के बाद बर्तन ठीक से साफ किया जाय
8. डस्टबीन को संक्रमण मुक्त रखने के लिए क्लोरीन से प्रत्येक दिन सफाई की जानी चाहिए
9. शौचालय में स्वच्छता बनाये रखने हेतु नियमित साफ–सफाइ

5. स्तनपान स्तनपान शिशु पोषण 01

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

Help us to help you

कोविड-19 के दौरान,
भी बच्चे को मिले पूर्ण आहार

शिशु को जन्म के एक घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाएं और पहले 6 महीने सिर्फ स्तनपान कराएं

- माँ का दूध नवजात शिशु को बीमार होने से बचाता है
- माँ का दूध नवजात की बचपन में सुरक्षा करने में मदद करता है
- माँ के दूध में एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और उसकी रोगों से रक्षा करता है

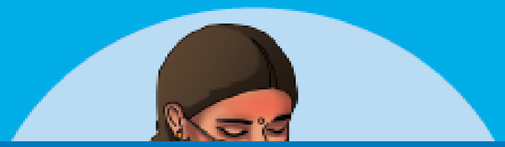

5. स्तनपान स्तनपान शिशु पोषण 02

स्तनपान कराएं सावधानी के साथ, संक्रमण से करें बचाव

अगर माँ को बुखार, खाँसी या साँस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं, तो वहः

- तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें
- डॉक्टर की बताई गई बातों का पालन करें
- जब बच्चे के संपर्क में हो तो मास्क पहनें
- खाँसते और छींकते समय अपने मुंह को रूमाल या टिश्यू से ढकें
- छींकने और खाँसने के बाद, बच्चे को अपना दूध पिलाने से पहले और बाद में अपने हाथों को साबुन और पानी से 40 सेकंड तक धोएं
- किसी भी सतह को छूने से पहले उसे साबुन या सैनिटाइज़र से अच्छी तरह साफ करें

6. स्तनपान स्तनपान शिशु पोषण 03

यदि माँ स्तनपान नहीं करा सकती है, तो वह अपना दूध साफ कटोरी में निकाल सकती है और साफ कप या चम्मच से बच्चे को दूध पिला सकती है

अपना दूध निकालने से पहले

- हाथों को साबुन व पानी से 40 सेकंड तक धोएं
- जिस कटोरी या कप में दूध निकालें उसे साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं

अपना निकला हुआ दूध पिलाते समय

- मास्क पहन कर रखें
- अच्छे से साफ किए गए कप या चमच्च से ही दूध पिलाएं

इन्फेंट फार्मूला, मिल्क पाउडर या फीडिंग बोतल या कृत्रिम निप्पल जैसी चीजों को बढ़ावा न दें

यदि माँ स्तनपान कराने व दूध निकालने के लिए बहुत बीमार है, तो वहः

- एक अवधि के बाद फिर से अपना दूध पिलाना शुरू करें
- बच्चे को दूध पिलाने व उसकी देखभाल के लिए किसी अन्य महिला की मदद लें

6.खाद्य सुरक्षा सम्बंधित जानकारी

1. खाद्य स्वच्छता बनाये रखने के लिए खाद्य सामग्रियों को खरीदते, पकाते एवं भण्डारण करते समय स्वयं एवं खाद्य संचालकों द्वारा घर पर अतिरिक्त सावधानियॉ बरतें

- अनपैकेजड खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियॉ एवं दूध, दही आदि के पैकेट को पानी से अच्छी तरह से धोएँ।
- भोजन पकाने से पहले कम से कम 40 सेकेन्ड तक अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें।
- दुकान से खरीदे हुए खाद्य पदार्थ की जॉच करें। यदि काई दिखयी पड़ने वाले नुकसान/ दुर्गंधयुक्त/ रंग परिवर्तन/सूजन /खुले हुए पैकेट या डिब्बे का उपयोग न करें।
- कम से कम एक सप्ताह के लिए किराने का सामान खरीदें। बार–बार बाजार जाने से बचें।
- बाजार में किराने का सामान खरीदते समय दूसरों से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाये रखें।

6.खाद्य सुरक्षा सम्बंधित जानकारी (Conti...)

1. खाद्य स्वच्छता बनाये रखने के लिए खाद्य सामग्रियों को खरीदते, पकाते एवं भण्डारण करते समय स्वयं एवं खाद्य संचालकों द्वारा घर पर अतिरिक्त सावधानियॉ बरतें

- बाजार करने के बाद थैले को कीटाणुनाशक और साफ पानी से धोकर धूप में सुखाएं।
- खरीदने से पहले उत्पादन एवं समाप्ति की तिथि की जॉच कर लें। किसी भी तरह की क्षति जैसे–रिसाव, जंग, उभार, चपटा की जॉच कर लें।
- उन वस्तुओं को खरीदने से बचें जिसकी समाप्ति की तारीख पार कर चकी हो या किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त है। यदि भोजन खराब हो गया हो या खराब होने की संभावना लग नहीं हो तो उसे तुरंत फेंक कर बर्तन को अच्छी तरह से धो लें।